

सूचना

जारवा आरक्षित क्षेत्र से गुजरते हुए सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी तरह के प्लास्टिक, पॉलिथिन या शीशे की बोतलों को वाहन से जारवा क्षेत्र में न फेंकें ।

इन निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आदिम जनजाति सुरक्षा अधिनियम, 1956 के तहत सख्त कार्यवाई की जाएगी।

Namy
निदेशक (जनजाति कल्याण) के निदेशानुसार